

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.1(1)चिस्वा/ग्रुप-2/2020

जयपुर, दिनांक : 04.01.2021

आदेश

विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 04.09.2020 के द्वारा कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की संख्या के दृष्टिगत संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर को पूर्णतः समर्पित (Dedicated) अस्पताल घोषित किया गया था।

कोविड-19 से संक्रमित मरीजों की घटती संख्या व आमजन को अन्य बीमारियों के उपचार उपलब्ध कराने के दृष्टिगत राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर की 100 शैय्याओं को कोविड-19 के लिए आरक्षित रखते हुए शेष शैय्याओं को सामान्य उपचार के लिए मुक्त किया जाता है।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(संजय कुमार)

शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/
3. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा राज्य मंत्री महोदय
4. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
6. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
7. निदेशक (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
8. अधीक्षक एवं प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजकीय जयपुरिया अस्पताल, जयपुर
9. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन जयपुर
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम/जयपुर द्वितीय
11. जन सम्पर्क अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये राज. जयपुर
12. निजी /रक्षित पत्रावली



शासन उप सचिव